84

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि ग – 2877 – II – 16

प्रकरण कमांक / रिवीजन / 2016–17

आवेदक– 1. कुशलाल पुत्र श्री लालाराम, उम्र–41 वर्ष, कुषक मजदूर निवासी–लखनपुरा ग्वालियर

2. कमला पुत्री लालाराम, उम्र–65 वर्ष, गृहस्थ निवासी–गोपालनुरा शिवपुरी

श्री .... द्वारा आज दि. 26-8-16 को प्रस्तुत

विरूद्ध

अनावेदक – म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

निगरानी आवेदन– माननीय कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण कमांक 66/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22-2-13 के विरूद्ध म.प्र.भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अर्न्तगत निगरानी–

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ताकण की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

1. यह कि, निगरानीकर्तागण की ग्राम बरैठ जिला शिवपुरी में भूमि सर्वे कमांक 352 रकवा 2.00 है0 भूमि स्थित है ।
2. यह कि, निगरानीकर्तागण द्वारा इस आशय का एक आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया था कि भूमि को सुधारने और कंकड पत्थर हटाने में निगरानीकर्तागण का अत्यधिक श्रम एवं रूपया खर्च हुआ है इस कारण वह कर्जदार हो गये हैं, इस कारण भूमि को 06 लाख रूपये में विकय करने हेतु अनुबंध कर दिया है अत भूमि के विकय की अनुमति प्रदान की जावे । उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में कमांक 66/2012–13 पर पर दर्ज हुआ ।
3. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण सुनवाई में दिनांक 22/02/2013 को लिया गया तथा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन शपथपत्र एवं अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर स्पष्ट किया कि निगरानीकर्तागण के पिता के नाम उक्त भूमि सर्वे कमांक 552 को पटटा अनेकों वर्ष पूर्व हुआ था , जिसमें जिसमें अनेकों वर्ष बाद भी परिश्रम एवं कर्ज लेकर रूपया लगाने के बाद भी उपज प्राप्त नहीं हुई है । उक्त भूमि पर पेड लगाने एवं जोतने के बाद भी उपज प्राप्त नही हुई है निगरानीकर्तागण पर अत्यधिक कर्ज हो गया है । भूमि के विकय से जो धन प्राप्त होगा उससे अन्य भूमि खरीदने का प्रयास कर रहे हैं । अधिनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2877/दो/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 66/2012-13/अ-21(2) में पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम बरैठ भूमि सर्वे क्रमांक 352 रकवा 2.00 है0 को कृषि योग्य बनाने एवं सुधारने मे अत्यधिक श्रम एवं रूपया खर्च हुआ है जिससे वह कर्जदार हो गया है। और भूमि कृषि योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति मे उपरोक्त भूमि को विक्रय किये जाने हेतु अनुबंध पत्र कर दिया है, इसलिये भूमि विक्रय अनुमति दी जाये। अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा उपरोक्त आवेदन	

पत्र को आदेश दिनांक 22.02.2013 से निरस्त कर दिया है। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– आवेदक की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से ग्राम बरैठ भूमि सर्वे क्रमांक 352 रकवा 2.00 है0 भूमि विक्रय की अनुमति चाही गयी है क्योंकि उपरोक्त भूमि में आवेदक द्वारा अत्यधिक श्रम एवं रूपया खर्च करने के बाद भूमि को कृषि उपयोगी नहीं बना सका। इस हेतु वह कर्जदार हो गया है, इसलिये उपरोक्त भूमि को विक्रय करना चाहता है जिसका अनुबंध पत्र सम्पादित करा लिया है। ऐसी स्थिति उपरोक्त भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये। किन्तु अपरकलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार न कर जो आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। और उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित

आदेश दिनांक 22.02.2013 से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया था। जिसके विरूद्व अवधि बाह्य पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5– उभय पक्षों के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान पुनरीक्षण अवधि बाह्य है। इस संबंध में आवेदक द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें आक्षेपित आदेश की जानकारी नहीं होने का अधार लिया गया है। इसलिये न्यायहित में उपरोक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक द्वारा भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति के आवेदन पत्र में उल्लेख किया है। कि उपरोक्त भूमि कृषि उपयोगी नहीं है, जिसके सुधार हेतु उसके द्वारा अत्यधिक श्रम एवं रूपया खर्च किया है। लेकिन उपरोक्त भूमि कृषि योग्य नहीं ऐसी स्थिति में उक्त भूमि से लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। इसलिये भूमि को विक्रय किये जाने का विधिवत् अनुबंध पत्र किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के साथ कोई छल–कपट नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि की विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी।

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 66/2012-13/अ-21(2) में पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 अपास्त किया जाकर आवेदक को ग्राम बरैठ भूमि सर्वे क्रमांक 352 रकवा 2.00 है0 भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य